कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / 1474 दिनांक 04 / 8 / 2015

विषयः निरीक्षण नोट ।

कार्य का नाम : C/o District Court Complex, Saket, Main Court building, New Delhi.
(SH: C/o Lock-up building)
Agreement No : 49 /EE/CBMD/M-422 / 2013 -14

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 03.08.2015 को उपरोक्त कार्य का निरीक्षण कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता तथा ठेकेदार के साथ किया और पहले भी इस कार्य का निरीक्षण दिनांक 22.06.2015 तथा दिनांक 07.07.2015 को किया था । निरीक्षण के दौरान पाया कि :–

1 अद्योहस्ताक्षरी के दिनांक 22.06.2015 तथा दिनांक 07.07.2015 के निरीक्षण पर कई मुद्दों पर कार्यवाही करना लम्बित है । निरीक्षण रजिस्टर में Final action result नहीं दर्शाया गया है और दिनांक 07.07.2015 का निरीक्षण नोट भी Final action result नहीं पाया गया ।

2 कार्यस्थल पर ठेकेदार का कोई भी इंजीनियर / अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं था ।

3 वैद्युत कार्य के लिए एसोसिएट एजेंसी का विवरण उपलब्ध नहीं है और न ही भवन के नक्शे तथा प्रगति विवरण, फोटोग्राफ इत्यादि कार्यस्थल पर दर्शाए नहीं गए है । कार्यस्थल पर साईट आफिस भी उपलब्ध नहीं है ।

4 गुणवत्ता आश्वासन प्रोग्राम कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है । भवन सामग्री की जांच के लिए कार्यस्थल पर उपलब्ध प्रयोगशाला में करार की शर्तों के अनुसार सभी उपकरण उपलब्ध नहीं है ।

5 भवन के बेसमेंट में जाने के लिए भवन के नक्शों के अनुसार रेम्प बनाने का प्रावधान को पुनः जांच लिया जाये और इसी प्रकार से बेसमेंट से कोर्ट परिसर में जाने के लिए सुरंग की स्थिति को पुनः जांच लिया जाये और उसके अनुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये । कार्यस्थल का निरीक्षण आर्किटेक्ट कंसल्टेन्ट से करवाया जाये तथा उनके निरीक्षण नोट कार्यस्थल पर रखे जायें ।

6 आर.सी.सी. दीवार के कुछ भाग में एक साईड के Verticle steel bar में सभी जोडों को एक स्थान पर है जिन्हें shuttering हटाकर पुनः stagger करके लगाया जाये ।

7 आर.एम.सी. प्लांट पर जो कंक्रीट तैयार की जा रही है उसमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री की जांच रिपोर्ट कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है जोकि अनिवार्य है । करार की शर्तों तथा विनिर्देशों के अनुसार सभी अनिवार्य टेस्ट का विवरण रखा जाये ।

8 नींव में मिट्टी की भराई layer में नहीं की जा रही है और एक साथ मिट्टी भरी जा रही है जोकि उचित नहीं है ।

9 कार्यस्थल पर उपलब्ध रेत की गुणवत्ता उचित नहीं है । कार्यपालक अभियंता इसपर तथा अन्य प्रयोग की जाने वाली भवन सामग्री पर विशेष ध्यान दें ।

10 कार्य में सुरक्षा संहिता का पालन सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है । बेसमेंट में जहॉ कार्य चल रहा है वहॉ से बेसमेंट में जाने के लिए और बहार आने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है । करार की शर्तों के अनुसार सभी सुरक्षा संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाये साथ में कामगारों के स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई व्यवस्था के संरक्षण के लिए आदर्श नियम का पालन सुनिश्चित किया जाये । अभी तक कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल इत्यादि नहीं है । ठेकेदार के श्रमिकों के लिए विनियमों का करार की शर्तों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

ह० 2 4/8/15
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25

प्रतिलिपि:–

1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम–4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन. नई दिल्ली ।

2 कार्यपालक अभियंता एम–422, हौजखास, नई दिल्ली ।

ह० 2
अधीक्षण अभियंता